



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 971 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 2008/आषाढ़ 23, 1930

No. 971]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2008/ASADHA 23, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2008

क्र. अ. 1673(अ).—कवर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 4-5-2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 737(अ) का अधिसूचना करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सामान्य सूचना के लिए कौवर नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप प्रकाशित करती है।

एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति पर अथवा इसके बाद विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्ति अथवा सुझाव यदि कोई हो, तो सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011 को सम्बोधित किया जा सकता है।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को कौवर उद्योग (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नियम 16 में संशोधन.—कौवर उद्योग नियमावली, 1954 के

नियम, 16 के उप-नियम (1) में, शब्द "ऐसे व्यवहार कर सकेंगे, जो यह उचित समझा है" के लिए शब्द, आंकड़े और ब्रेकेट के "1 लाख रुपये (एक लाख रुपये) से अधिक और 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) तक व्यवहार कर सकता है" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 6(4)94-कॉवर]

शेखर कुमार पुलिसका, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—कौवर उद्योग नियमावली, 1954 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (1) में दिनांक 5 जुलाई, 1954 के का.नि.आ. 226 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित समसंख्यकों द्वारा संशोधित किये गये थे :—

- (1) दिनांक 29-04-1955 के सं. का.नि.आ. 973
- (2) दिनांक 12-12-1955 के सं. का.नि.आ. 3983
- (3) दिनांक 17-12-1955 के सं. का.नि.आ. 3669
- (4) दिनांक 09-04-1960 के सं. का.नि.आ. 877
- (5) दिनांक 18-6-1963 के सं. सा.का.नि. 1088
- (6) दिनांक 06-05-1967 के सं. का.आ. 1744
- (7) दिनांक 21-07-1969 के सं. का.आ. 2983
- (8) दिनांक 09-07-1976 के सं. सा.का.नि. 1122
- (9) दिनांक 28-09-1976 के सं. सा.का.नि. 1588
- (10) दिनांक 30-05-1983 के सं. सा.का.नि. 2498

- (11) दिनांक 22-03-1990 के सं. सा.का.नि. 390(अ)
- (12) दिनांक 29-10-1992 के सं. सा.का.नि. 832(अ)
- (13) दिनांक 15-01-1996 के सं. का.आ. 44(अ)
- (14) दिनांक 28-05-1998 के सं. का.आ. 474(अ)
- (15) दिनांक 28-10-2004 के सं. का.आ. 1199(अ)

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND  
MEDIUM ENTERPRISES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2008

S.O. 1673(E).—In exercise of the powers conferred by section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) and in supersession of the notification number S.O. 737(E), dated 4th May, 2007, the Central Government hereby publishes the following draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954 for the general information as required under sub-section (1) of Section 26 of the said Act.

Notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rules, before the period specified above, shall be taken into consideration by the Central Government.

The objection or suggestion, if any, may be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

**DRAFT RULES**

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coir Industry (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 16.**—In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 16, in sub-rule (1), for the words "may incur such expenditure as it may think fit" the words, abbreviation, figures and bracket "may incur expenditure above Rs. 1 lakh (Rupees one lakh) and up to Rs. 10 lakh (Rupees ten lakh)" shall be substituted.

[F. No. 6(4)94-Coir]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy

**Foot Note :—**The Coir Industry Rules, 1954, were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 2226, dated the 5th July, 1954 and subsequently amended, vide numbers :—

- (1) S.R.O. 973 dated 29-04-1955
- (2) S.R.O. 3983 dated 12-12-1955
- (3) S.R.O. 3669 dated 17-12-1955
- (4) S.R.O. 877 dated 09-04-1960
- (5) G.S.R. 1088 dated 18-06-1963
- (6) S.O. 1744 dated 06-05-1967
- (7) S.O. 2983 dated 21-07-1969
- (8) G.S.R. 1122 dated 09-07-1976
- (9) G.S.R. 1588 dated 28-09-1976
- (10) G.S.R. 2498 dated 30-05-1983
- (11) G.S.R. 390(E) dated 22-03-1990
- (12) G.S.R. 832(E) dated 29-10-1992
- (13) S.O. 44(E) dated 15-01-1996
- (14) S.O. 474(E) dated 28-05-1998
- (15) S.O. 1199(E) dated 28-10-2004